चुनाव

घोषणा-पत्र

•

१९७२

•

भारतीय जनसंघ हरियाणा प्रदेश

हरियाणा राज्य में विधान सभा के चुनाव मई १९७३ में होने थे। मुख्य मंत्री श्री बंसीलाल भी बारम्बार यही दावा कर रहे थे कि चुनाव निश्चित समय से पहले नहीं होंगे परन्तु मुख्य मंत्री द्वारा किये गये राज्य सत्ता के घिनौने दुरुपयोग तथा जंगल की आग के समान बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच कराने की विरोधी दलों की मांग इतना बल पकड़ती जा रही थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोचा कि एक ओर कुआं है तो दूसरी ओर खाई। यदि जांच करवाती हैं तो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने का भय है। यदि जांच नहीं करवाती तो अगले सवा साल में राज्य सरकार इतनी बदनाम हो जायेगी कि स्थिति संभल नहीं पायेगी। इस कारण कुंए और खाई से बचने के लिये सवा साल पहले चुनाव करवाये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी आज अपने भाषणों में स्थान-स्थान पर केवल एक ही बात बोल रही हैं कि कांग्रेस को वोट देकर टिकाऊ सरकार बनाओ परन्तु हरियाणा में यह नारा एक ढोंग मात्र है। १९६७ के चुनावों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके भी कांग्रेस सरकार टिक न सकी और लुढ़क गई। १९६८ में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दोबारा स्पष्ट बहुमत दिया परन्तु कांग्रेस की आपसी धड़ेबन्दी और अन्दरूनी गृह युद्ध ने इसे कभी सुख का सांस न लेने दिया। नियमानुसार दो-दो डेढ़-डेढ़ मास चलने वाले विधान सभा के सत्रों की बजाय दो-दो चार-चार दिन में उनको समाप्त कर "जान बची लाखों पाये" कह कर मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी दिन पूरे करते रहे और जैसे-तैसे कर तीन साढ़े तीन साल निकाले। सत्ता बनाये रखने के लिए दूसरे दलों के सदस्यों को भी अनेकों प्रकार के लालच देकर अपने दल में शामिल कर दल-बदल को प्रोत्साहन देते रहे। अब पानी सर तक पहुंच गया तो विधान सभा भंग कर दी। परन्तु बकरे की मां कब तक खैर मनायेगी। परीक्षा की घड़ी आ पहुंची है।

हरियाणा की कांग्रेस सरकार एक ओर चंडीगढ़ तथा फाजिल्का के प्रश्नों पर हरियाणा के हितों की रक्षा करने में सर्वथा विफल रही है और दूसरी ओर आर्थिक मोर्चे पर इसने प्रदेश को विफल किया है। बजट उपस्थित करने में जल्दी तथा उसमें १५ करोड़ का घाटा इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि चुनाव के ही कारण अभी कर न लगाकर जनता को धोखे में रखा गया है।

गत ४ वर्षों का हरियाणा कांग्रेस का इतिहास राजनैतिक एवं आर्थिक

मोर्चों पर विफलता का इतिहास है। भ्रष्टाचार एवं दल-बदल की तो सीमाएं ही नहीं रहीं। तथाकथित समाजवाद के नाम पर दिनदहाड़े लूट मचाकर कांग्रेसी मंत्री एवं विधायक करोड़पति एवं लखपति बन गये। गरीबी हटी नहीं, बेकारी रुकी नहीं तथा महंगाई घटी नहीं तो अब मतदाताओं से किस मुंह से कांग्रेस समर्थन चाहती है?

भारत-पाक युद्ध सारे देश की जनता ने जीता है और अब कांग्रेसी श्रेय लेना चाहते हैं। हरियाणा के वीरों ने देश की रक्षा के लिये जो बलिदान दिये हैं उनके मूल्य पर कांग्रेस को दलगत लाभ उठाने की अनुमति जनता नहीं देगी। शहीदों की चिता पर हाथ सेंकने का प्रयत्न करने वाले कांग्रेसी राजनीतिज्ञों के हाथ जले बिना नहीं रहेंगे। इससे बढ़कर हरियाणा के मुख्य मंत्री और उसके दल पर कलंक का क्या उदाहरण हो सकता है कि जवानों की सहायता के लिये एकत्र किये गये रक्षा कोष को भी चुनाव कोष में बदलने के आरोपों का स्पष्टीकरण तक नहीं दिया गया।

भारतीय जनसंघ हरियाणा में अखिल भारतीय जनसंघ के चुनाव घोषणा-पत्र पर ही चुनाव लड़ेगा और जनता को विश्वास दिलाता है कि उस घोषणा पत्र में दिये गये वायदों पर अमल करेगा तथा हरियाणा की जो विशेष समस्याएं हैं और जिनके सम्बन्ध में अलग हल पेश किये हैं उनको भी कार्यान्वित करेगा।

सैनिक एवं युद्ध-पीड़ित

१. शहीद जवानों तथा उनके परिवारों, घायलों तथा उनके परिवारों तथा विस्थापित नागरिकों की सहायता एवं पुनर्वास को प्राथमिकता देकर केन्द्रीय जनसंघ द्वारा घोषणापत्र में दिये कार्य किये जावेंगे।

२. केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा घोषित सुविधाएं शीघ्र देने की व्यवस्था की जावेगी।

३. जिला केन्द्रों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर शहीद स्मारक निर्माण किये जावेंगे।

४. सेवा निवृत्त सैनिकों के लिए निवास योजना तैयार की जावेगी।

जांच आयोग

१. श्री बंसीलाल एवं उनके सहयोगी मंत्रियों के विरुद्ध दिये गये ३ ज्ञापनों के आधार पर एक उच्चस्तरीय न्यायिक जांच आयोग नियुक्त किया जावेगा तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही की जावेगी।

२. बंसीलाल मंत्रिमंडल के मंत्रियों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर धन एवं सम्पत्ति एकत्र करने की आयोग द्वारा जांच कराई जावेगी और प्रमाण मिलने पर न्यायालय में मामले चलाये जावेंगे।

३. सुरक्षा कोष को कांग्रेस दल के कोष तथा अन्य मदों में बदलने के आरोपों की न्यायिक जांच कराई जावेगी।

४. बिजली लगाने, सड़क निर्माण, लाइसेंस, कोटा-परमिट वितरण, विकास कार्य एवं सिंचाई योजनाओं में हुए पक्षपात एवं घोटाले की जांच के लिये एक जांच आयोग नियुक्त किया जावेगा।

दल-बदल पर रोक

१. दल-बदल को समाप्त करने के लिये प्रादेशिक स्तर पर कड़े कानूनी पग उठाये जावेंगे।

२. दल बदलुओं का सामाजिक बहिष्कार करने के लिये सार्वजनिक वातावरण तैयार किया जावेगा।

३. दल-बदल पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये केन्द्र पर दबाव डाला जावेगा।

सरकारी अध्यापक

१. अध्यापकों को अपने गांव से १० मील दूर भेजने के सरकारी निर्णय को तत्काल रद्द किया जावेगा।

२. महंगाई भत्ते की कटौती को बहाल किया जायेगा।

सरकारी कर्मचारी

१. केन्द्रीय स्तर पर अंतरिम सहायता दी जावेगी।

२. राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जावेगा।

३. सेवा शर्तों में सुधार किया जावेगा।

४. नियुक्तियां तथा तबादले गुणदोष के आधार पर किये जावेंगे।

५. आवास की उचित व्यवस्था की जावेगी।

गैर सरकारी अध्यापक

१. वेतनमान सरकारी स्तर पर एवं सीधे सरकारी कोष से देने की व्यवस्था की जावेगी।

२. सेवा सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएं सरकारी अध्यापकों के समान दी जावेंगी।

३. अंग्रेजी, हिन्दी तथा संस्कृत के अध्यापकों के बीच वेतनमानों की विषमता समाप्त की जावेगी।

पेंशन

१. वर्तमान परिस्थितियों एवं महंगाई की पृष्ठभूमि में सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि की जावेगी।

हर खेत को पानी

१. हरियाणा में छोटी एवं बड़ी सिंचाई योजनाओं का जाल बिछाकर हर खेत को पानी पहुँचाया जावेगा।

२. नलकूप के पानी की दरें घटाकर नहर के पानी के समान की जावेंगी।

३. ट्यूबवैल को दी जाने वाली बिजली की दर घटाकर उद्योगों को दी जाने वाली बिजली दरों के समान किये जावेंगे।

४. बीज, खाद, उर्वरक तथा अन्य उपकरण सस्ते दामों पर तथा धांधली रहित वितरण व्यवस्था द्वारा दिये जावेंगे।

५. उपज का प्रोत्साहक मूल्य दिलाने का प्रबन्ध किया जावेगा।

६. खेती उपज बीमा योजना लागू की जावेगी।

७. फसल के न्यूनतम भाव की गारंटी देने की व्यवस्था की जावेगी।

८. अनार्थिक जोतों को आर्थिक बनाने के लिए छोटे किसानों को बिना ब्याज कर्जों की व्यवस्था की जावेगी।

सम्पत्ति का अधिकार

१. जमीन तथा अन्य सम्पत्ति का अधिकार समाप्त करने के प्रयत्नों का विरोध किया जावेगा।

२. लड़की को बाप की बजाये ससुर की सम्पत्ति से भाग देने का कानून बनाया जाएगा।

भूमि सीमा

१. हरियाणा में भूमि सीमा ३० स्टेंडर्ड एकड़ से कम करने के कांग्रेसी एवं साम्यवादी प्रयत्नों का पूरी शक्ति से विरोध किया जावेगा क्योंकि इससे अनिश्चितता उत्पन्न होकर उपज को धक्का लगेगा।

२. भूमि सुधार कानून अविलम्ब एवं कड़ाई से लागू किये जावेंगे।

३. सब प्रकार की सरकारी पड़ती जमीन को निश्चित समय के अन्दर

हरिजनों, भूमिहीन खेतिहरों एवं भूतपूर्व सैनिकों में बांटने की योजना बनाई जावेगी।

सस्ते अनाज की दुकानें

१. बंधी आय एवं कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए शहरों तथा देहातों में सस्ते अनाज की दुकानें खोली जावेंगी।

२. महंगाई एवं वितरण की धांधली को रोकने के लिए उपभोक्ता संगठनों का गठन किया जावेगा।

३. सस्ते भोजनालय चलाये जावेंगे।

उद्योग

१. वर्तमान औद्योगिक नगरों के विकास एवं सुधार तथा नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की विस्तृत योजना बनाई जावेगी।

२. देश के औद्योगिकों को हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन दिया जावेगा।

३. सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्र पर दबाव डाला जावेगा।

४. यमुनानगर में हरियाणा की एकमात्र निजी चीनी मिल को सहकारी क्षेत्र में लाया जावेगा जिसमें गन्ना उत्पादकों एवं मजदूरों को भी भागीदार बनाया जावेगा।

५. यंत्र चालित छोटे उद्योगों को आवश्यकता के आधार पर सहायता दी जावेगी।

६. कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जावेगा।

श्रम

१. इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को आज की परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया जावेगा।

२. स्थाई वेतन बोर्ड गठित किया जावेगा जो प्रत्येक उद्योग में समय-समय पर वेतन मान निश्चित करेगा।

३. खेतिहर मजदूरों की मजदूरी वर्तमान मूल्यों के आधार पर निश्चित की जायेगी।

कर नीति एवं व्योपारी

१. बिक्री कर समाप्त किया जावेगा तथा उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने की व्यवस्था की जावेगी।

२. कर ढांचे में परिवर्तन किया जावेगा, इसे सरल बनाया जावेगा और इन्सपेक्टर राज समाप्त किया जावेगा।

३. दुकानों पर छापे मारने की प्रथा बन्द की जावेगी।

४. सम्पत्ति कर एवं गृह कर को एक कर दिया जावेगा।

५. व्यवसाय कर समाप्त किया जावेगा।

६. कर नीति निर्धारण के लिए एक परामर्श समिति गठित की जावेगी जिसमें व्यापारियों को प्रतिनिधित्व दिया जावेगा।

शिक्षा

१. माध्यमिक स्तर तक शिक्षा शुल्क समाप्त किया जावेगा।

२. बी० ए० तक अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त की जावेगी।

३. विद्यालय पुस्तकें सस्ते दरों पर, समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जावेंगी। छपाई, प्रकाशन एवं मुद्रण की खामियां समाप्त की जावेंगी।

४. शिक्षा को रोजगार आधारित बनाने के लिए शिक्षा पद्धति में अमूलचूल परिवर्तन किये जावेंगे।

५. व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिये नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जावेगी।

६. प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय खोला जावेगा। किसी बालक को निरक्षर नहीं रहने दिया जावेगा।

पूर्ण साक्षरता

७. वयस्क शिक्षा केन्द्र खोलकर बड़े नगरों में एक वर्ष तथा सम्पूर्ण प्रदेश में ३ वर्ष में प्रत्येक नागरिक को साक्षर बनाया जावेगा।

विश्वविद्यालय

१. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का अधिक विकास किया जावेगा तथा इसे भारतीय संस्कृति इतिहास एवं युद्ध कला के विषयों का आधुनिक अध्ययन एवं शोध केन्द्र बनाया जावेगा। संस्कृत की उच्चतम शिक्षा के अध्ययन की पूर्ण व्यवस्था की जावेगी।

२. रोहतक में दयानन्द विश्वविद्यालय स्थापित किया जावेगा।

३. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी संगठनों की विधिवत् गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जावेगा तथा उनकी शिकायतों पर अविलम्ब विचार करने की व्यवस्था की जावेगी।

४. विश्वविद्यालयों से विद्यार्थी असंतोष दूर करने के लिये विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं प्रशासकों में ताल मेल स्थापित करने के लिये संयुक्त समितियां गठित की जावेंगी।

भाषा

१. जनसंघ हिन्दी को तत्काल पूर्ण रूप से राज-काज की भाषा बनाएगा। अन्य प्रान्तों तथा केन्द्र से पत्र-व्यवहार हिन्दी में होगा। लोक सेवा आयोग की परीक्षा का माध्यम हिन्दी को बनाया जावेगा। हरियाणा में उच्च न्यायालय तक कार्य हिन्दी में किया जावेगा।

२. संविधान में दी गई सुविधाओं के अनुसार पंजाबी को पूरी सुविधा और संरक्षण दिया जाएगा। पंजाबी के बाद किसी एक दक्षिण भाषा को शिक्षा में सुविधा दी जावेगी।

पुरुषार्थी समस्या

१. खेद है कि स्वतंत्रता के २५ वर्ष बाद भी हरियाणा में कांग्रेसी सरकार द्वारा हरियाणवी तथा पंजाबी का भेदभाव बर्ता जा रहा है। जनसंघ इस भेदभाव को समाप्त करके प्रत्येक नागरिक को बराबर का स्थान देगा।

२. खेतों, उद्योग, व्यापार तथा नौकरियों उनमें पदोन्नति तथा स्थानांतरण के मामलों में पुरुषार्थियों से किसी प्रकार के अन्याय एवंपक्षपात को सहन नहीं किया जावेगा।

३. सामाजिक एवं जातिगत भेदभाव समाप्त करके परस्पर सद्भाव का वातावरण उत्पन्न करने के सब सम्भव प्रयत्न किये जावेंगे।

चिकित्सा

१. प्रत्येक ग्राम में चिकित्सा केन्द्र खोले जावेंगे।

२. चलती फिरती चिकित्सा गाड़ियां चलाई जावेंगी।

पीने का पानी

१. प्रत्येक गांव में स्वच्छ पीने का पानी देने की योजना को सबसे पहली प्राथमिकता दी जावेगी।

प्रत्येक गांव में प्रकाश

१. जिन गांवों में बिजली न पहुंचने की शिकायतें हैं उन्हें दूर किया जावेगा।

२. केवल बिजली के खम्भों तक सीमित न रहकर प्रत्येक गांव में प्रकाश पहुंचाया जावेगा।

सड़क निर्माण एवं ग्राम विकास

१. प्रत्येक गांव तक सड़क निर्माण के कार्य को अविलम्ब पूर्ण किया जावेगा।

२. प्रत्येक गांव को स्वच्छ आदर्श एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जावेगा।

हरिजन कल्याण एवं पिछड़े वर्ग की प्रगति

१. उपेक्षा एवं भेदभाव समाप्त किया जावेगा।

२. नौकरियों में आरक्षण तथा अन्य सरकारी सुविधाएं देने तथा उन्हें लागू करने की प्रभावी योजना बनाई जावेगी।

प्रशासन

१. प्रत्येक विभाग से भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

२. सस्ता न्याय देने की व्यवस्था की जावेगी।

३. लाल फीताशाही समाप्त की जावेगी।

४. खर्चों में कमी की जावेगी।

रेडियो तथा टेलीविजन

१. रेडियो तथा टेलीविजन केन्द्र दो वर्ष के अन्दर स्थापित किये जावेंगे।

गो रक्षा

१. गौ वंश हत्या पर सम्पूर्ण देश में प्रतिबन्ध लगाने का कानून बनाने के लिये केन्द्र पर भरसक दबाव डाला जावेगा।

शराबबन्दी

१. हरियाणा में तुरंत पूर्ण शराबबन्दी लागू की जावेगी।

२. शराब की बुराइयों से बचने के लिये प्रभावी प्रचार की दृष्टि से एक विभाग स्थापित किया जावेगा।

काम का अधिकार

१. प्रत्येक नागरिक को काम देने का अधिकार देने के लिये विधान में संशोधन की मांग की जावेगी।

२. प्रत्येक हाथ को काम या महंगाई भत्ता देने का लक्ष्य रखकर अविलम्ब व्यवस्था की जावेगी।

हरियाणा से अन्याय

१. भाखड़ा एवं व्यास तथा चण्डीगढ़ के मामले में हुए हरियाणा से अन्याय को हरसम्भव उपाय से दूर कराने के प्रयत्न किये जावेंगे।

२. अबोहर एवं फाजिल्का क्षेत्रों को अविलम्ब हरियाणा में मिलाने के लिये पग उठाये जावेंगे।

३. पंजाब से हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा को देने के लिये केन्द्र पर दबाव डाला जावेगा।

परिवहन

१. बस संख्या एवं सुविधाओं में वृद्धि की जावेगी।

२. प्रत्येक ग्राम तक स्थानीय बस चलाने की विस्तृत योजना बनाई जावेगी।

३. दिसम्बर, १९७१ में बढ़ाये गये किरायों का निर्णय वापिस लिया जावेगा।

४. स्वस्थ स्पर्धा के आधार पर निजी मालिकों को बसें चलाने की अनुमति दी जावेगी।

प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना

१. सभी नगरपालिकाओं के अविलम्ब चुनाव कराये जावेंगे।

२. पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के चुनाव तुरंत पूर्ण किये जावेंगे तथा उनके अधिकार बढ़ाये जावेंगे।

३. सभी एम० ए० सी० को तोड़ दिया जावेगा तथा उनके स्थान पर नगरपालिकाएं बनाई जावेंगी।

४. सभी सुधार न्यास तोड़ दिये जावेंगे।

५. मार्किट कमेटियों तथा अन्य ऐसे निकायों में, जहां चुनाव पद्धति बदलकर नियुक्तियों की पद्धति लागू की गई है, वहां फिर से पुनः कानूनी व्यवस्था से निर्वाचन पद्धति लागू की जावेगी।

६. विधान सभा के सत्र पर्याप्त समय के लिये बुलाये जावेंगे।

७. हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र को बहाल किया जावेगा।

८. विधायकों को लाभप्रद पदों से हटा दिया जावेगा।

जनता से आह्वान

जनसंघ का विश्वास है कि हरियाणा की जनता की लोकतंत्र में पूरी आस्था है। वह सत्ता कांग्रेस के थोथे नारों में नहीं फंसेगी। गत युद्ध की जीत कांग्रेस की जीत नहीं है बल्कि सारे देश और जवानों की जीत है यह नहीं भूलेगी। सत्ता दल और विरोधी दल लोकतंत्र की गाड़ी के दो बराबर के और समान महत्व रखने वाले पहिये हैं। किसी एक के भी कमजोर रहने पर लोकतन्त्र की गाड़ी ठीक नहीं चल पायेगी, यह याद रखेगी। हरियाणा में सत्ता का दुरुपयोग, दलबदल तथा भ्रष्टाचार सीमा पार कर चुका है। इसको रोकने का एक ही उपाय है कि जनसंघ जो सच्चे अर्थों में एक सुसंगठित दल है जिसके पास हजारों निःस्वार्थ समाज सेवी और कर्मठ कार्यकर्ताओं की टोली है और जिसके पास देश की सेवा तथा विकास के लिये यथार्थ कार्यक्रम एवं नीति है, उसके उम्मीदवारों को अधिक से अधिक संख्या में सफल करके उन्हें हरियाणा की सेवा का अवसर दिया जावे, जनता से यह प्रबल आह्वान है।

जनता से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करते हुए तथा विजय का विश्वास लेकर जनसंघ चुनावों में अग्रसर हो रहा है।

— जय भारत

मुद्रक : नवचेतन प्रेस प्रा० लि०, (लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) नया बाजार, दिल्ली-६